



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 श्रावण 1948 (श10)
(सं0 पटना 902) पटना, सोमवार, 3 अगस्त 2026

सं0 प्र०/ऊर्जा/ब्रेडा-01/2026-02
ऊर्जा विभाग

संकल्प
14 जुलाई 2026

विषय:— जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2029-30 तक राज्य के सरकारी/सरकार के अधीन भवनों पर कुल 500 मेगावाट क्षमता के ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट का **Renewable Energy Services Company (RESCO)** मोड में अधिष्ठापन की स्वीकृति एवं संबंधित विभागों द्वारा **RESCO** डेवलपर के साथ सौर ऊर्जा संयंत्रों से उत्पादित ऊर्जा के क्रय हेतु **Power Purchase Agreement (PPA)** किये जाने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

राज्य में बड़े सोलर पावर प्लांट का अधिष्ठापन हेतु उपयुक्त बंजर भूमि के कमी को देखते हुए सरकारी भवनों के परिसरों में ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट का अधिष्ठापन कर सौर ऊर्जा का उत्पादन एवं उपयोग करना एक बेहतर साधन है। सरकारी भवनों के परिसर में अधिष्ठापित ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट के द्वारा उत्पादित ऊर्जा सरकारी भवनों के द्वारा उपयोग की जा सकेगी। साथ ही अतिरिक्त ऊर्जा को वापस ग्रिड में भी भेजा जा सकता है। यह विद्युत वितरण कंपनियों के **RPO (Renewable Purchase Obligation)** को पूर्ण करने में भी सहायक होगी। वर्तमान में नवीकरणीय क्रय दायित्व 33.01 प्रतिशत है, जो भविष्य में और बढ़ने की संभावना है।

2. वर्तमान में ब्रेडा द्वारा मुख्यमंत्री नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा योजना एवं जल-जीवन-हरियाली अंतर्गत राज्य के कुल 12000 से अधिक सरकारी भवनों पर लगभग 115 मेगावाट क्षमता के ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट का अधिष्ठापन **Capex Mode** में 5 वर्षों के रख-रखाव सहित कराया गया है।

3. जल-जीवन-हरियाली अभियान के विस्तारित अवधि वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2029-30 तक राज्य के सरकारी/सरकार के अधीन भवनों पर कुल 500 मेगावाट क्षमता के ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट का अधिष्ठापन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसका क्रियान्वयन Renewable Energy Services Company (RESCO) मोड में किया जाना है।

4. RESCO Mode में सौर ऊर्जा संयंत्रों के अधिष्ठापन हेतु लागत राशि के व्यय का वहन सोलर पावर डेवलपर द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ स्थापित संयंत्र का रख-रखाव एवं संचालन पूर्णतः डेवलपर के द्वारा अनुबंध अवधि (25 वर्षों) तक किये जाने का प्रावधान रहता है। सरकारी विभागों के द्वारा डेवलपर के साथ Power Purchase Agreement (PPA) के आधार पर एक निश्चित टैरिफ पर उत्पादित सौर ऊर्जा खरीदती है, जो समान्यतः डिस्कॉम के टैरिफ से कम होती है। इससे सरकारी विभागों के बिजली पर होने वाली व्यय में प्रत्यक्ष रूप से कमी आती है।

5. सरकारी भवनों पर ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट के अधिष्ठापन के फलस्वरूप बिजली खपत हेतु जहाँ एक तरफ परंपरागत ऊर्जा पर निर्भरता में कमी आएगी वहीं दूसरी तरफ अतिरिक्त उत्पादित ऊर्जा को ग्रिड में भेजा जा सकेगा। इस तरह से सरकारी भवनों के विद्युत विपत्र में भी काफी कमी आयेगी।

6. राज्य में सौर ऊर्जा के प्रोत्साहन तथा तत्संबंधी जल-जीवन- हरियाली अभियान के तहत नवीकरणीय और गैर पारम्परिक ऊर्जा प्रणाली ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के उत्थान के लिए बहुआयामी तथा विशेषकर लाभदायक सिद्ध होंगे।

8. अतएव जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2029-30 तक राज्य के सरकारी/सरकार के अधीन भवनों पर कुल 500 मेगावाट क्षमता के ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट का Renewable Energy Services Company (RESCO) मोड में अधिष्ठापन की स्वीकृति एवं संबंधित विभागों द्वारा RESCO डेवलपर के साथ सौर ऊर्जा संयंत्रों से उत्पादित ऊर्जा के क्रय हेतु Power Purchase Agreement (PPA) किये जाने की स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

7. मंत्रिपरिषद की दिनांक-08.07.2026 को हुई बैठक में उक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्राप्त है।
आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अजय यादव,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 902-571+10-डी0टी0पी01
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>